HIGH COURT LEGAL SERVICES COMMITTEE, PATNA

Memo No. 40

Date:- 16/01/2024

Notice Regarding Extension of Submission of Quotation period in Notice No. 39/PHCLSC Dated 03.01.2024.

In continuation of earlier Notice No. 39 dated 03.01.2024 regarding inviting sealed quotations from reputed Printing Firm for prints the 5000 pamphlets in Art Paper 130 GSM in multicolour, Size 10" x 15", it is hereby informed that the time for submission of quotation is further extended for two weeks i.e. up to **30.01.2024**.

Context and format of the pamphlets can also be downloaded from the site of Patna High Court Legal Services Committee.

Terms and Conditions:-

1. The pamphlets should be in Art Paper 130 GSM in multicolour, Size 10" x 15". The pamphlets should be in good condition, clear visual and defect free.
2. The rate quoted in quotation should be inclusive of all taxes.
3. No advance payment shall be made.
4. The firms shall submit their bill & KYP form at the time of supply of articles.
5. We Reserve the right to accept or reject any or all quotations.
6. The quality and size of the pamphlet can be seen during office hours in the office of the Patna High Court Legal Services Committee.

Sd/- 16-1-24

(Rajneesh Kumar Srivastava)
Registrar-cum-Secretary,
Patna High Court Legal Services Committee.

विधिक सेवा प्राप्त करने की विधि

विधिक सहायता या परामर्श प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला कोई भी विधिक सहायता के हकदार व्यक्ति यथास्थिति सचिव उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति को सम्बोधित कर आवेदन कर सकेगा। आवेदन विनियम की अनुसूची "क" में उपदर्शित प्रपत्र में होगा, जो विधिक सेवा समिति कार्यालय से उपलब्ध करना होगा। आवेदन के साथ अपने समस्या से सम्बंधित सभी कागजातों के साथ ही साथ वार्षिक आय/जाति प्रामाण पत्र संलग्न कर सम्बधित कार्यालय को देना पडेगा तदुपरान्त विधिक सेवा से सम्बधित अग्रतर कार्यवाई की जायेगी।

अनुसूची ''क''
(देखें विनियम संख्या 20)
विधिक सहायता देने हेतु आवेदन पत्र

1.आवेदक का नाम –
2.आवेदक के पिता/पति का नाम –
3.क्या आवेदक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन–जाति का है? यदि हां, तो उपजाति का उल्लेख करें–
4.आवेदक का पेशा–
5.आवेदक का पता –
6.आवेदक का वार्षिक आय–
7.उस न्यायालय/अधिकरण का नाम जिसमें मामला संस्थित किया गया हो या लम्बित हो
8.प्रतिवादी का नाम और पता–
9.विवाद का विषय–वस्तु–
10.उस अधिवक्ता का नाम जिसकी सेवा आवेदक लेना चाहेगा –
11.इसी विषय वस्तु से संबंधित कोई कार्यवाही किसी न्यायालय/अधिकरण में संस्थित की गयी थी, यदि ऐसा हो तो उसका परिणाम–
12.किसी पूर्व अवसर पर किसी सहायता के लिए आवेदन दिया, प्राप्त हुआ या इनकार किया गया था यदि ऐसा हो तो कार्यवाही और उसमें प्राप्त विधिक सहायता की विशिष्टयां दें–

स्थान:–
तारीख– आवेदक का हस्ताक्षर

सत्यापन

शपथ–पत्र

1.मैं..............................आयु लगभग..............................वर्ष.............
पुत्र/पुत्री/पत्नी..निवासी....................एतद्द्वरा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हॅू और निम्नलिखित को अधिकथित करता हॅू:–

(क) मै अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य से सम्बन्धित हॅू।
(ख) मै मानव या भिक्षार्थी के दुर्व्यवहार से पीडित हॅू या भिक्षार्थी हॅू।
(ग) मै विधिक सेवा के लिये आई हॅू क्योंकि मैं महिला/बालक/ वरीय नागरिक हॅू।
(घ) मै मानसिक रूप से बिमार या अन्यथा असमर्थ व्यक्ति हॅू।
(ङ) मै सामूहिक आपदा, जातीय हिंसा, जाति अत्याचार, बाढ. सुखा, भूकम्प या औद्योगिक आपदा का पीडित होने के कारण अनुचित आवश्यकता की परिस्थितियों के अधीन व्यक्ति हॅू।
(च) मै औद्योगिक कर्मकार हॅू।
(छ) मै अभिरक्षा में हॅू।
(ज) सभी स्त्रोतों से मेरी वार्षिक आय............रू0 (केवल...........रूपये) से नीचे है।

(उसे काट दीजिए जो लागू न हो)

2. मै किसी अध्यपेक्षा और निर्देष का पालन करूॅगा जो उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव या सदस्यों में से किसी द्वारा दिया जाय।
3. मै समिति द्वारा प्रदान किये जाने वाले विधिक सेवा अधिवक्ता के समक्ष अपने मामले के सभी तथ्यों का पूर्ण और सत्य सूचना दॅूगा।
4. मै उच्च न्यायालय पटना में–

(क) ....में .... के निर्णय से अपील
(ख)..............................के लिये रिट याचिका दाखिल करूॅगा।
(उसे काट दीजिए जो लागू न हो)

परिसाक्षी

सत्यापन

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी...............उक्त वर्णित परिसाक्षी एतद्द्वारा सत्यापित करता हॅू कि परिच्छेद 1 से 4 तक की अन्तर्वरतुये मेरे ज्ञान में सही और शुद्ध है, इसमें अधिकथित कोई चीज मिथ्या नहीं है और कोई चीज छिपाया नहीं गया है। इसलिये, ईष्वर मेरी सहायता करें।

.... में 20 के ....दिन को सत्यापित किया गया।

परिसाक्षी

श्री रजनीश कुमार श्रीवास्तव
निबंधक–सह सचिव–
उच्च न्यायलय विधिक सेवा समिति
पटना

कमजोर वर्गो
को
विधिक सहायता

किसके लिए एवं क्यों ?

मुख्य संरक्षक
मानननीय न्यायमूर्ति श्री के. विनोद चंद्रन
मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय

अध्यक्ष
मानननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली
न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति
उच्च न्यायालय, पटना
दुरभाषः–0612–2504475/2504477
ईमेलः– phclsc@gmail.com

कमजोर वर्गो को विधिक सहायता

बिहार राज्य का कोई भी नागरिक आर्थिक या किसी अन्य अक्षमताओं के कारण न्याय पाने से वंचित न रह जाय। इस उद्येष्य की पूर्ति हेतु कमजोर वर्गो को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराने हेतु उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, पटना का गठन किया गया है, जिसके लिए बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विनियम 1998 के तहत विधिक सेवा प्राप्त करने हेतु प्रावधान बनाया गया है

कानूनी सेवा प्राप्त करने हेतू पात्रता

ऐसा व्यक्ति जो बिहार राज्य का मूल निवासी हो तथा किसी न्यायालय में लम्बित मामला का पक्षकार हो, कानूनी सेवा प्राप्त करने का हकदार हो सकता है–अगर

(क) उस व्यक्ति की वार्षिक आय 1,50,000/– रूपया से अधिक न हो।

(ख) वह व्यक्ति अनुसूचित जाति/जनजाति का सदस्य हो।

(ग) वह मानव दुर्व्यवहार पीडित हो अथवा संविधान के अनुच्छेद 23 में निर्दिष्ट भिखारी हो।

(घ) महिला या बच्चा हो।

(ड.) वह व्यक्ति मानसिक रूप से बिमार हो।

(च) वह व्यक्ति प्राकृतिक आपदा, संजातीय हिंसा या औद्योगिक दुर्घटना से पीड़ित हो।

(छ) औद्योगिक कर्मकार हो।

(ज) एक किन्नर/एक वरीय नागरिक या एच0 आई0 वी0 से संक्रमित या किसी प्रकार के कैंसर से ग्रस्त व्यक्ति या असंगठित क्षेत्र का एक कर्मकार या तेजाब हमले का पीडित व्यक्ति।

(झ) वह व्यक्ति किसी भी तरह के अभिरक्षा में या मनष्चिकित्सीय परिचर्या गृह में हो।

(ञ) लोक महत्व के मामले जिसके निर्णय का प्रभाव समाज के कमजोर वर्गो पर पडने की सम्भावना हो के पक्षकार को भी कानूनी सहायता प्रदान कर सकते है।

(त) अयोग्यताओं के साथ व्यक्ति अधिनियम 1995 की धारा 2 के खण्ड (i) में परिभाषित अनुसार अयोग्यता वाला वयक्ति हो।

विधिक सेवा प्राप्त करने की विधि

निम्नलिखित में से सभी, किसी एक या एक से अधिक ढंग से विधिक सहायता प्रदान की जा सकती है:–

(क) किसी विधिक कार्यवाही के संबंध में भुगतेय उपगत प्रक्रिया फीस तथा अन्य सभी खर्च।

(ख) विधिक कार्यवाही में विधि व्यवसायी द्वारा प्रतिनिधित्व।

(ग) विधिक कार्यवाही में आदेशों की प्रमाणित प्रति और अन्य दस्तावेज प्राप्त करना।

(घ) विधिक कार्यवाही में दस्तावेजों का मुद्रण एवं अनुवाद सहित कागजात की पुस्तिका तैयार करना।

(ड.) कोई अन्य व्यय जिससे अध्यक्ष, विधिक सेवा समिति या प्राधिकार किसी खास मामले में स्वीकृत करना उचित समझे।

किन मामलों में विधिक सहायता नहीं दी जाएगी

निम्नलिखित मामले में विधिक सहायता नहीं दी जाती है:–

(क) मानहानि।

(ख) विद्वेषपूर्ण अभियोजन ।

(ग) ऐसी कार्यवाही जिसमें व्यक्ति न्यायालय की अवमानना से आरोपित हो।

(घ) किसी निर्वाचन से संबंधित कार्यवाही।

(ड.) ऐसे अपराधों से संबंधित कार्यवाही जो केवल 1000/– रूपये से अधिक जुर्माना से दण्डनीय नहीं हो।

(च) आर्थिक अपराधों और समाज कल्याण विधियों के विरूद्ध या नैतिक अक्षमता विधायक अपराधों से संबंधित कार्यवाहियॉ।

(छ) जहॉ विधिक सहायता मॉगने वाला व्यक्ति केवल पदीय हैसियत से कार्यवाही से संबंधित हो या मात्र औपचारिक पक्षकार हो।